राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./म.स्वा.कार्य./एफ 46 पार्ट ।।/2018-19/303 दिनांक : 28/5/19

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
.... राजस्थान

विषय : महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2018-19 में प्रवेश हेतु द्वितीय काउंसलिंग दिनांक 07.06.2018 को आयोजित किए जाने बाबत।

संदर्भ : निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्ति कमांक : प्रशि./म.स्वा.कार्य./2018-19/2018/ 1342 - 1343 दिनांक 12.06.2018 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित के कम में लेख है कि दिनांक 10.12.2018 को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2018-19 में प्रवेश हेतु आयोजित की गई प्रथम काउंसलिंग के बाद रिक्त रही सीटों पर द्वितीय काउंसलिंग द्वारा प्रवेश देने हेतु दिनांक 07.06.2019 निर्धारित की गई है।

अतः लेख है कि आरक्षण की श्रेणीवार आपके यहां प्रथम काउंसलिंग के बाद रिक्त रही सीटों की संख्या के 5 गुणा अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुसार द्वितीय काउंसलिंग हेतु आमंत्रित करे। जिसके लिए कम से कम 5 दिवस पूर्व रजिस्टर्ड काल लेटर्स जारी कर दिया जाना सुनिश्चित करे साथ ही अगर अभ्यर्थियों के मोबाईल न0 उपलब्ध हो तो उन्हें एसएमएस के जरिये भी सूचित किया जावे तथा आरक्षण की श्रेणीवार किस किस श्रेणी की कितनी कितनी रिक्त सीटों के लिए कितने कितने अभ्यार्थियों को काउंसलिंग हेतु 07.06.2019 को बुलाया गया है की सूचना दिनांक 04.06.2018 तक फैक्स न. **0141-2222683** व ई मेल आई-डी **jd55training@gmail.com** पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

द्वितीय काउंसलिंग के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यार्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत (कट ऑफ मार्क्स) का प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जावें तथा बुलाये गये अभ्यर्थियों की सूची आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा जिला कलेक्टर, संयुक्त निदेशक जोन तथा जिला रोजगार अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराया जाना भी सुनिश्चित करे।

यदि कोई ऐसे अभ्यार्थी उपस्थित होवे जो प्रथम काउंसलिंग में अनुपस्थित रही हो तो उसे भी उसके वरियतानुसार द्वितीय काउंसलिंग में अवसर दिया जावे। चयन समिति पूर्व की भांति ही रहेगी जिसके लिए जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर उनके प्रतिनिधि का आदेश जारी करवाने का दायित्व संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का होगा। साथ ही निम्न बिन्दुओं की पूर्णतः पालना की जावे :-

1. **कार्मिक (A-Gr-II) विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन कमांक : एफ 7 (1) डीओपी/ ए-।।/2017 दिनांक 21.12.2017 की अक्षरशः पालना की जावे। साथ ही उक्त नोटिफिकेशन प्रथम काउंसलिंग में चयनित/आवंटित प्रशिक्षणार्थियों पर लागू नही होगा। केवल मात्र द्वितीय काउंसलिंग में ही लागू होगा।**
2. **समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा की जाने वाली काउंसलिंग का एक ही समय (प्रातः 09:30 से दोपहर 2:00 बजे तक) निर्धारित रहेगा।**
3. **प्रथम काउंसलिंग में जिस कट ऑफ मार्क्स तक की अभ्यार्थियों को काउंसलिंग हेतु बुलवाया गया है। उससे अधिक कट ऑफ मार्क्स वाले अभ्यर्थी के आ जाने पर उसे काउंसलिंग में शामिल किया जाना है।**

i. किसी वजह से प्रथम काउंसलिंग पश्चात् निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण ज्वाईन नही करने वाली अभ्यर्थियों को द्वितीय काउंसलिंग में शामिल नही किया जाना है।

ii. प्रथम काउंसलिंग में कतिपय अन्य कारणों यथा शैक्षणिक दस्तावेजों, जाति प्रमाण पत्र आदि के अभाव में जिन अभ्यर्थियों को सम्मिलित नही किया गया, उन्हें द्वितीय काउंसलिंग में उक्त दस्तावेजों की पूर्ति उपरान्त शामिल किया जाना है।

शेष निर्देश/विवरण संदर्भित पत्र में उल्लेख अनुसार ही रहेगा।

संलग्न : पूर्व में जारी दिशा–निर्देश की प्रति।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर

क्रमांक : प्रशि./म.स्वा.कार्य./एफ 46 पार्ट II/2018–19/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।,
2. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।,
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज. जयपुर।
5. संबंधित जिला कलेक्टर को प्रेषित कर लेख है कि अपना एक प्रतिनिधी उक्त काउंसलिंग में भिजवाने का श्रम करे।
6. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी/जिला रोजगार अधिकारी ।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
8. प्रभारी सर्वर कक्ष को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को ई–मेल करने की व्यवस्था करावें।
9. जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आशय का प्रेस नोट जारी करवाने का श्रम करावें।
10. कार्यालय प्रति।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

रजिस्टर्ड

क्रमांक : प्रशि./म.स्वा.कार्य./एफ 46 पार्ट II/2018–19/ 303 दिनांक : 28/5/19

72

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अलवर/अजमेर/बांसवाडा/बाडमेर/भरतपुर/
बीकानेर/बून्दी/चित्तौडगढ/रतनगढ/धौलपुर/
डूंगरपुर/गंगानगर/जयपुर–प्रथम/जैसलमेर/
जालौर/झालावाड/झुन्झुनू/जोधपुर/करौली/
कोटा/नागौर/पाली/सीकर/सिरोही/टोंक/
उदयपुर/दौसा/स.माधोपुर/हनुमानगढ/बारां/
राजसमन्द/भीलवाडा/प्रतापगढ (राज0)।

विषय : महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2018–19 में प्रवेश हेतु दिनांक 10.12.2018 को काउंसलिंग किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स सत्र 2018–19 में चयन के लिए 10.12.2018 को काउंसलिंग की जानी है जिसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जावे :–

1. चयन विज्ञप्ति क्रमाक : प्रशिक्षण/म.स्वा.कार्य./2018–19/2018/1342–43 दिनांक 12.06.2018 में उल्लेखित योग्यता एवं शर्तो के अनुरूप ही किया जावे।
2. चयन पूर्णतया प्राप्तांको के प्रतिशत की मेरिट के अनुसार ही किया जावे।
3. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, बासंवाडा एवं डूंगरपुर जिले में कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.07.2016 के अनुसार आरक्षण देते हुए टीएसपी क्षेत्र के अभ्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जा सकेगा अन्य जिलों के अभ्यार्थियों को प्रवेश नही दिया जावेगा।
4. आरक्षित अभ्यर्थियों को चयन में विज्ञप्ति में दर्शायी गयी सीटों के अनुरूप ही अजा0/अजजा0/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यथियों को आयु में नियमानुसार 5 वर्ष की छुट दी जावे।
5. राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक : एफ 11 (125)/ओबीसी/जाट/R&P/SJED/2016/48825 दिनांक 23.08.2017 के अनुसार राजस्थान राज्य की अन्य पिछडा वर्ग अधिकृत सूची में धौलपुर एवं भरतपुर जिले की जाट जाति वर्ग को सम्मिलित कर लिया गया है। अतः भरतपुर एवं धौलपुर के जाट जाति वर्ग को ओबीसी में सम्मिलित किया जावे।
6. कार्मिक (क–2) विभाग के आदेश क्रमांक : प.7 (1) कार्मिक/क–2/17 पार्ट दिनांक 29.08.2018 के अनुसार ही अति पिछडा वर्ग को एक प्रतिशत आरक्षण देय होगा।
7. राज्य सरकार के नियमानुसार विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यार्थियों को अलग से एसबीसी का कोई आरक्षण देय नही होगा।
8. जनजाति उपयोजना क्षेत्र (TSP – SC/ST) के जनजातिय अभ्यार्थियों का सक्षम स्तर से जारी विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की जांच की जावे। सहरिया वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए बारां जिले का सक्षम स्तर से जारी निवास प्रमाण पत्र की जांच की जावे।
9. समान प्रतिशत के अभ्यर्थियो की स्थिति में अधिक आयु वाली अभ्यर्थी चयन योग्य होगी।
10. केवल एक पैर से विकलांग (O.L.) 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तकता होने पर निःशक्त अभ्यर्थी को होरिजेण्टल/वरीयता के आधार पर आरक्षण देय होगा। 40 प्रतिशत से कम निःशक्तता (O.L.) होने पर आरक्षण का लाभ देय नही होगा तथा प्रमाण पत्र तीन वर्ष से अधिक पुराना नही होना चाहिए।
11. शैक्षणिक योग्यता बाबत् माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी नवीनतम अनुदेशिका तथा उसके द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप मान्य शैक्षणिक संस्थान से सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जिसके लिए उनके द्वारा प्रकाशित विवरणिका को आधार माना जावे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 534/05 द्वारा स्टेट ऑफ राजस्थान वगैरा बनाम फिरदोस तरन्नुम में दिनांक 20.01.2006 को पारित निर्णय की पालना में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के आदेश क्रमांक : मान्यता/ईक्यू/1045 दिनांक 05.07.2011 एवं पत्रांक 2042 दिनांक

17.11.2011 के कम में राज्य सरकार की आई.डी. संख्या 586 दिनांक 18.07.2014 के अनुमोदनानुसार जामिया उर्दु अलीगढ बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस प्रशिक्षण की प्रवेश प्रकिया में शामिल नही किया जावेगा। (73)

12. प्रोविजनल मेरिट के अनुसार जितने अभ्यार्थी चयन हेतु लिये जाने उसके 5 गुणा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु बुलाया जावे। उनके कॉल लैटर पर यह आवश्यक अंकित कर दे कि **"यह प्रवेश का पत्र नही है। निर्धारित सीटों की संख्या के 5 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अतः मेरिट के अनुसार ही उपलब्ध सीटों पर प्रवेश दिया जा सकेगा।"** कॉल लैटर अभ्यार्थियों को रजि0 डाक द्वारा भिजवाया जाकर दिनांक 10.12.2018 को काउंसलिंग हेतु बुलाया जावे।

13. काउंसलिंग करने हेतु निम्नलिखित कमेटी गठित की जाती है :–

i.	संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	अध्यक्ष।
ii.	संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य।
iii.	संबंधित नर्सिंग अधीक्षक / प्रभारी, म.स्वा.का. प्रशिक्षण केन्द्र	सदस्य।
iv.	संबंधित जिला कलेक्टर का एक प्रतिनिधि	सदस्य।

इनमें से यदि कोई सदस्य उपलब्ध नही होने पर उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शामिल किया जावे।

14. काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी का प्रशिक्षण हेतु किया गया चयन अंतिम चयन होगा, चयनित अभ्यर्थियों को चयन पत्र आदि दिये जावे एवं उसी दिन से प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावे। चयन हेतु बुलाये गये समस्त 5 गुणा अभ्यर्थियों की सूची मय चयन आदेश व चयन समिति की रिपोर्ट सहित अगले दो दिवस के अन्दर–अन्दर गोपनीय बन्द लिफाफे में निम्न हस्ताक्षरकर्ता को विशेष पत्र वाहक के साथ आवश्यक रूप से भिजवावें, अन्यथा इसकों आदेश की अवहेलना माना जावेगा।

15. काउंसलिंग में बुलाये गये अभ्यर्थियों जिनका चयन नही हुआ है, वे प्रतीक्षा सूची में रहेंगे। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को रिक्त रही सीटों पर प्रवेश इस निदेशालय से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही देवे।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण में चयनोपरान्त सूचना निम्न निर्धारित प्रपत्र में विशेष पत्र वाहक के साथ अगले दो दिवस के अन्दर–अन्दर आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

सवर्ग	सामा.	ओबीसी	अनु. जाति	अनु जनजाति	टीएसपी (एसटी)	सहरिया	टीएसपी (एससी)	(क्षैजित आधार) होरिजेन्टल बेसिस पर				
								आं0बा0 कार्य0	मिलट्री / पैरामिलट्री / पुलिस मृतक कर्मियो की विधवाओं /	अन्य श्रेणी की विधवाओं एव तलाकशुदा अभ्यर्थी	विकलाग श्रेणी ओएल (एक पैर 40 प्रतिशत)	विभागीय चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी
चयन का न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत												
चयनित अभ्यर्थियों की सख्या												
रिक्त सीटों की सख्या												
अन्य विवरण												

16. प्रशिक्षण में प्रवेशित अभ्यर्थियों से उनके मूल दस्तावेज ज्योइनिंग के समय जमा कर लिये जावे तथा उनके मूल दस्तावेजों का संबंधित बोर्ड / संस्थान से सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करे और इनका सत्यापन हो जाने के बाद सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाया जावे। यदि किसी अभ्यर्थी का कोई प्रमाण पत्र / अंकतालिका / अन्य दस्तावेज फर्जी पाया जावे तो अभ्यर्थी को अपनी स्थिती स्पष्ट करने का अवसर देते हुए स्पष्टीकरण असंतोष पाये जाने पर उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करायी जावे और प्रशिक्षण से पृथक करके निदेशालय को सूचित किया जावे।

17. काउसलिंग में अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्रादि शैक्षणिक/जन्मतिथी/जाति प्रमाण पत्र/चरित्र प्रमाण पत्र/विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई बिन्दु स्पष्ट नही हो रहा हो तो तत्संबंधी मार्गदर्शन इस निदेशालय से तुरन्त प्राप्त कर लेवे। (७५)
18. काउंसलिंग हेतु आरक्षण की श्रेणीवार निर्धारित सीटों के 5 गुणा अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के अनुसार बुलाया जाना है। जिसके लिए उन्हे दिनांक 05.12.2018 तक आवश्यक रूप से रजिस्टर्ड पत्र जारी किये जावें तथा काउंसलिंग में बुलाये गये अभ्यर्थियों की सूची आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड जिला कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, संबंधित सयुक्त निदेशक (जोन) तथा जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे। इसी के साथ बुलाये गये अभ्यर्थियों की आरक्षण श्रेणीवार न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत का प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जावे।
19. किसी भी तरह की अनियमितता के लिए सबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
20. संबंधित जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर उनके प्रतिनिधी का आदेश करवाने का दायित्व संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का होगा।
21. अभ्यर्थी को पूर्णरूपेण स्वस्थ्य होना अनिवार्य है, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण में ज्वाईनिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थी चयन के समय यदि गर्भवती पाई जाती है तो उसको आगामी बैच में पुनः आवेदन किये बिना, प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावेगा बशर्ते की अभ्यर्थी चयन हेतु पूर्ण रूप से पात्रता रखती हो।
22. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित तिथि 10.12.2018 को काउंसलिंग प्रातः 9:30 बजे से मध्यान्ह 2:00 बजे तक ही निर्धारित किया गया है। अतः समय का ध्यान रखना सुनिश्चित करे साथ ही काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यार्थियों जिनका चयन नही हुआ है उनके दस्तावेज काउंसलिंग समय के (मध्यान्ह 2:00 बजे) पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही की जावे।

sd/-
(राकेश शर्मा)
अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्रशि./म.स्वा.कार्य./एफ 46 पार्ट II/2018–19/1759 दिनांक : 28/11/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज. जयपुर।
5. संबंधित जिला कलेक्टर को प्रेषित कर लेख है कि अपना एक प्रतिनिधी उक्त काउंसलिंग में भिजवाने का श्रम करे।
6. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
7. समस्त प्रभारी, एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
8. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
10. प्रभारी सर्वर कक्ष को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को ई–मेल करने का श्रम करे।
11. कार्यालय प्रति।

(राकेश शर्मा)
अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर